

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---------|---|------------------------|
| सं. 89] | दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2014/आषाढ़ 17, 1936 | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 59 |
| No. 89] | DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2014/ASADHA 17, 1936 | [N.C.T.D. No. 59 |

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 8 जुलाई, 2014

सं. फा.10/33/प्रभासन/एलजे एवं एलए/2012/डीएस-2/विधि/922-928 :-दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उप-धारा (2) के खंड (ड) के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2012 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्न भर्ती तथा पदोन्नति विनियम इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :-**(i) इन विनियमों को विधि, न्याय एवं विधायी कार्य, विधि सहायक भर्ती नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
(ii) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन समूह और ग्रेड वेतन/वेतनमान :-**उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन समूह और ग्रेड वेतन/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि :-**उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-**कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगी।
5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :-**जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव :-**इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग में विधि सहायक के पद के भर्ती नियम—

अनुसूची

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | पदनाम | विधि सहायक |
| 2. | पदों की संख्या | 03* (2014) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर |
| 3. | वर्गीकरण | 'ख' वर्गीय, सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय |
| 4. | वेतनमान | वेतन समूह 2, 9300-34,800रु. जमा ग्रेड वेतन 4200 रु. |
| 5. | क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा | 30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ | अनिवार्य :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री (ii) विधि व्यवसायी के रूप में दो वर्ष का अनुभव या किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विधि कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव टीप-1 अन्वथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | लागू नहीं |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | लागू नहीं |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | लागू नहीं |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | परामर्श आवश्यक नहीं है। |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
डॉ. सौरभ कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 8th July, 2014

No. F. 10/(33)/Admn/LJ&LA/2012/ds2law/922-928.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No.F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, and in supersession of Notification No.F.2(2)/87-S.II dated the 20th August, 1991, in so far as it relates to Department of Law, Justice and Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, hereby frames the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Legal Assistant in the Department of Law, Justice and Legislative Affairs**, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement** .— (i) These rules may be called Department of Law, Justice and Legislative Affairs, Legal Assistant Recruitment Rules, 2014
(ii) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay/Scale of pay** .—The number of the said posts, their classification and their Pay Band and Grade Pay/Scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of Recruitment, age limit and qualifications etc** .— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification: No person** .—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax** .—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax in any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving** .—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of post. | Classification. | Pay Band and Grade Pay/ Scale of pay. | Whether Selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits. |
|-------------------|--|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Legal Assistant | 03* (2014) *(Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial. | PB-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs.4200/-. | Not applicable. | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|--|--|------------------------------|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Essential:-[i]. Degree in Law from a recognized University.[ii] Two years experience as Legal Practitioner or one year experience in handling legal work in a Government Department / PSU. Note- 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note-2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable. | Two Years. | By Direct Recruitment. |

2778 5/14-2

| In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|--|--|---|
| (1) | (12) | (13) |
| Not applicable. | Not applicable. | Consultation with UPSC is not necessary. |

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Addl. Secy.